Office of the District Basic Education Officer
BIJNOR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that SPRING FIELD ACADEMY,NANGAL ROAD NAYAGAON MANDAWALI is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to SPRING FIELD ACADEMY is BIJ09037158436.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:21-06-2025To:21-06-2026(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	BIJ09037158436

DATE:- 21-06-2025

PLACE:- BIJNOR

District Basic Education Officer

Digitally signed by YOGENDRA KUMAR
Date: 2025-06-21 11:00:46
Reason: For Digital Signature
Location: BIJNOR

Kuldeep Singh (Manager)
SPRING FIELD ACADEMY
Affiliated to C.B.S.E. Delhi (2131179)
Najibabad - Nangal Road, Mandawali
Najibabad, Distt. Bijnor (U.P.) 246749

Karuna
Dr. Karuna Sharma (Principal)
SPRING FIELD ACADEMY
Affiliated to C.B.S.E. Delhi (2131179)
NAJIBABAD - Nangal Road, Mandawali
Najibabad, Distt. Bijnor (U.P.) 246749

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premaup.in

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक,
स्प्रिंग फील्ड एकेडमी प्रा0स्कूल,नयागॉव,गण्डायली,ब्लाक–नजीबाबाद
जनपद–बिजनौर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/2329-30 /2007–08 दिनांक 12-6-2008

विषयः– विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा–1 से 5 तक)की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा–1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर(कक्षा–1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या 1837/15–98–18(एस)–7/89 दिनांक 10 सितम्बर,1998 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नाकिंत प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:–

1–विद्यालय में अवैद्यानिक कक्षाओं जैसे के0जी0,नर्सरी,आदि का संचालन न किया जाय।
2–विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाय।
3–विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक है।
4–छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय।
5–विद्यालय में विभाग/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढ़ाई जाय।
6–विद्यालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाय।
7–विद्यालय में अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित ही नियुक्त किये जायें। अप्रशिक्षित शिक्षकों के होते हुए विद्यालय को स्थायी मान्यता दिया जाना सम्भव न होगा।
8–विद्यालय में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
9–यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध नही होगा।
10–स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तो को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थायी मान्यता हेतु विद्यालय का अपना निजी भवन होना, समस्त अध्यापक प्रशिक्षित होना एवं भवन में समस्त कमरे पक्के पूर्ण होना,अनिवार्य है।

यदि उक्त निर्देशों/विभागीय निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है,तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

भवदीय

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ0सं0/बेसिक/ /2007–08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद–बिजनौर।
2–संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

Kuldeep Singh (Manager)
SPRING FIELD ACADEMY
Affiliated to C.B.S.E. Delhi (2131179)
Najibabad - Nangal Road, Mandawali
Najibabad, Distt. Bijnor (U.P.) 246749

Dr. Karuna Sharma (Principal)
SPRING FIELD ACADEMY
Affiliated to C.B.S.E. Delhi (2131179)
NAJIBABAD - Nangal Road, Mandawali
Najibabad, Distt. Bijnor (U.P.) 246749

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

Scanned with OKEN Scanner